कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

:: आ दे श ::

क्रमांक 58 /दो–11–1/2010 हरदा दिनांक 12/03/2024

माननीय रजिस्ट्री, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के पत्र क्रमांक बी/1807/चार–3–1/65 (एकजाई) जबलपुर दिनांक 29.02.2024 के अनुसार इस न्यायिक जिला स्थापना पर शीघ्रलेखक ग्रेड–3 प्रवर्ग के पद पर नियुक्ति हेतु द्वितीय चरण में प्रतीक्षा सूची से अनुशंसित अभ्यर्थी के नाम के अनुक्रम में मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 28 जून 2019 सहपठित The Madhya Pradesh District Court Establishment (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2016 के प्रकाश में निम्नलिखित अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पूर्णतः अस्थाई रूप से निर्धारित सेवा शर्तों के अध्याधीन शीघ्रलेखक ग्रेड–3 प्रवर्ग के पद नियुक्त किया जाता है :–

Stenographer Grade-3

क्र0	वरीयता क्र.	आवेदन क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	वर्ग	लिंग	चयनित वर्ग	वेतनमान छठवे वेतनमान के अनुसार	रिमार्क
1.	12	MPC3011522	श्री कुलदीप, पिता श्री राजेन्द्र सिंह, पता–ग्राम चोरगरठिया, पो.–भोंगाखेड़ा थाना–बण्डोल तहसील सिवनी, जिला–सिवनी (म0प्र0)	UR	Male	UR	5200–20200 + ग्रेड–पे 2400/– (सातवे वेतनमान के लेवल– 6 अनुसार पे–मैट्रिक्स 25300–80500)	

–: नियुक्ति की शर्तें :–

1. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 9/3/2003–नियम–चार, भोपाल दिनांक 13 अप्रैल 2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 लागू न होकर परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी एवं सामान्य भविष्य निधि नियम 1955 भी लागू नहीं होंगे।

2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक सी. 3–13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में उक्त पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।

3. मध्यप्रदेश सिविल सेवाऐं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के अंतर्गत अयोग्य नहीं होना चाहिये, इस संबंध में शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि –
   (i) कोई भी पुरूष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।
   (ii) किसी भी उम्मीदवार को सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में जो विहित की जाये, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाये।
   (iii) कोई भी उम्मीदवार किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद जैसी कि आवश्यक समझी जाये, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाये कि वह सेवा या पद के लिये किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
   (iv) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
   (v) साथ ही यह भी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि कोई भी उम्मीदवार जिसकी दिनांक 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् दो से अधिक जीवित संतान नहीं है।

4. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आपको शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो आपकी सेवाऐं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

5. चयनित अभ्यर्थी का तीन वर्ष तक अंतरमण्डलीय स्थानांतरण प्रतिबंधित रहेगा परन्तु माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा प्रशासनिक आधार पर अंतरमण्डलीय स्थानांतरण कभी भी किया जा सकता है।

6. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित पठनीय छायाप्रति कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करनी होगी।

7. कार्यालय में उपस्थित होने पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां तीन प्रति में जो कि राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा सत्यापित की गई हो, पेश करना होगा, प्रस्तुत शैक्षणिक दस्तावेज के संबंध में संबंधित संस्था से छः माह के अन्दर सत्यापन कराये जाने पर सत्यापन में त्रुटि पाये जाने पर तत्काल सेवा समाप्त कर विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

8. अभ्यर्थी उपस्थिति प्रतिवेदन पर अपना फोटो चस्पा कर कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

9. अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर मेडीकल बोर्ड हरदा द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र उपस्थिति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

10. कार्यालय की बिना अनुमति के किसी विभाग में सेवा हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करेंगे एवं न ही बिना अनुमति के किसी प्रकार के अध्ययन एवं किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

11. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है जो किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते विधि अनुसार जमा किये जाने पर समाप्त की जा सकेगी।

12. चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर कार्य पर उपस्थित होना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।

13. परिवीक्षा अवधि के कार्य मूल्यांकन उपरांत आवश्यक होने पर परिवीक्षा अवधि विस्तारित की जावेगी।

14. परिवीक्षा अवधि में म.प्र. सिविल (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8 के अंतर्गत अनुशासनहीनता अथवा कदाचरण किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की सेवाऐं बिना किसी सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

15. अभ्यर्थी पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965, वर्गीकरण नियम 1966, मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 2016 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर प्राप्त आदेश/निर्देश लागू होंगे।

16. अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण भारत वर्ष के किसी भी थाने या न्यायालय में पंजीबद्ध या लम्बित नहीं है तथा उसको आज दिनांक तक किसी भी प्रकरण में दण्डित/दोषी नहीं ठहराया गया है। चरित्र सत्यापन कराये जाने पर जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी तथा असत्य शपथ पत्र प्रस्तुति के लिये विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

sd/-
तृप्ति शर्मा
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म.प्र.)

पृ.क्र. 271(5)/दो–11–1/2010 हरदा दिनांक 13/03/2024

निर्देशानुसार प्रतिलिपि –

1. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला कोषालय अधिकारी, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्री कुलदीप, पिता श्री राजेन्द्र सिंह, पता–ग्राम चोरगरठिया, पोस्ट– भोंगाखेड़ा थाना–बण्डोल तहसील सिवनी, जिला–सिवनी (म0प्र0)
4. सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, हरदा की ओर सर्व संबंधितों को ई–मेल/वॉटस–एप के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
5. लेखापाल/वेतन लिपिक, कार्यालय अनुभाग, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृते– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म.प्र.)